

पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय

महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo. 10/2015

CPO's Sl. No. 15/2015

No. E/161/0/ECR/HSP

dated: 11/03/2015

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पूमोरे, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यात्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकाय्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर

विषय/ Sub:

संदर्भ/ Ref:

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रतरे आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।
A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संदर्भक: यथोपरि।
DA: As above.

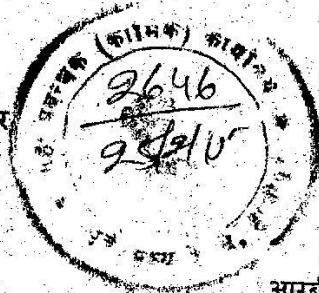
प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित:

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एसओसीओ/एसओसीओ/एसओसीओ/पूमरे/हाजीपुर।
3. महासचिव/एसओसीओ/एसओसीओ/एसओसीओ/पूमरे/हाजीपुर।
4. महासचिव/एसओसीओ/एसओसीओ/एसओसीओ/पूमरे/हाजीपुर।

11/3/15
(महोदय के योग्य)
सकाधि/ESM एवं रुलिंग
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

महानिदेशक (प्रशासन) कार्यालय
रेलवे बोर्ड का पत्र आकाश सं.
दिनांक 23/10/15

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)



सं. ई(पी एण्ड ए) 11-2011/आर एस-20

आरबीई सं. 10/2015
नई दिल्ली, दिनांक 19/10/2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि.
(डाकसूची सं. I और II के अनुसार).

विषय:- रनिंग स्टाफ को 10 दिन तक के छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के प्रयोजन के लिए 30% वेतन के एलिमेंट की गणना करना.

बोर्ड ने सेवा के दौरान छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में दिनांक 29.10.2008 के पत्र सं. एफ(ई)111/2008/एलई-1/1 के माध्यम से अनुदेश जारी किए हैं।

- कुछ क्षेत्रीय रेलों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रनिंग स्टाफ को 10 दिन तक की एलएपी के छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए 30% वेतन के एलिमेंट की गणना की जानी है अथवा नहीं.
- बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग स्टाफ के मामले में 10 दिन तक के छुट्टी नकदीकरण की गणना उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से "रेलों के रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग और अन्य भत्ते का भुगतान नियम, 1981" के नियम 25(1) (के) अनुसार छुट्टी वेतन के मामले में की जाती है।

- उपर्युक्त को एक उदाहरण के रूप में नीचे दर्शाया गया है:

(i) सामान्यतः मूल वेतन	=	पे बैंड में मूल वेतन + ग्रेड पे
	=	मूल वेतन
	=	मूल वेतन का 130% = (क)
(iii) सामान्यतः महंगाई भत्ते की दर	=	महंगाई भत्ता%
(iv) रनिंग स्टाफ का महंगाई भत्ता	=	(क) का महंगाई भत्ता% = (ख)
(v) एक दिन का छुट्टी नकदीकरण	=	क + ख
		30

छुट्टी नकदीकरण की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया पावती दें।

मुकेश

के. शंकर

निदेशक स्थापना (पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 10/2015.

No.E(P&A)II-2011/RS-20

New Delhi, dated 12.02.2015.

The General Managers,
All Indian Railways & Prod. Units etc.
(As per mailing lists No.I&II).

Sub: Reckoning of 30% pay element for the purpose of payment towards leave encashment upto 10 days to running staff.

+++++

Board have issued instructions vide letter No. F(E)III/2008/LE-1/1 dated 29-10-2008 on encashment of leave while in service.

2. Some of the Zonal Railways had sought clarification whether 30% pay element is to be reckoned for the purpose of leave encashment upto 10 days of LAP to the running staff.

3. The matter has been considered by the Board and it is clarified that in the case of Running Staff, the calculation of leave encashment upto 10 days will be done in the same manner as in the case of leave salary in terms of Rule 25(i)(k) of "The Rules for the payment of Running and other Allowances to the Running staff on Railways, 1981."

4. An illustration of the above is shown below:

(i) Basic Pay in general	=	Basic in Pay Band + Grade Pay
	=	BP
(ii) Basic Pay of running staff	=	130% of BP = (A)
(iii) DA rate in general	=	DA%
(iv) DA for running staff	=	DA% of (A) = (B)
(v) Leave encashment for 1 day	=	$\frac{A+B}{30}$

5. Other terms and conditions on encashment of leave will remain the same.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

7. Please acknowledge receipt.


(K.Shankar)
Director/E(P&A)
Railway Board